न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–84/2014

CIS No.-TS 633/2018

रविन्द्र सिंह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विनोद मांझी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
13.01.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 21.07.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 विनोद मांझी की मृत्यु नवम्बर 2024 में हो चुकी है। विनोद मांझी की मृत्यु की कोई सूचना प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय को नहीं दी गई जबकि विनोद मांझी की पत्नी बगड़ी देवी प्रस्तुत वाद में मुदालह सं0–02 है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुदालह सं0–01 विनोद मांझी अपने पिछे अपनी विधवा बगड़ी देवी एवं पाँच लड़के अनमोल मांझी, रंगीला मांझी, छबीला मांझी, दो नाबालिग पुत्र सुकट मांझी, तेलरू मांझी और चार नबालिग पुत्रियों तेतरी कुमारी, गेलरी कुमारी, महकी कुमारी वो मोती कुमारी को छोड़कर वफात कर चुके है। इनके विधिक वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। विनोद मांझी की पत्नी बगड़ी देवी पूर्व से पक्षकार है तथा उनके पुत्र एवं पुत्रियों को प्रतिस्थापना हेतु यह आवेदन दिया गया है। बगड़ी देवी को प्राकृतिक गार्जियन नबालिगान की ओर से स्वीकार किया जाए। आवेदन पत्र समय–सीमा के अंदर है।	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–84/2014</u>

<u>CIS No.-TS 633/2018</u>

रविन्द्र सिंह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विनोद मांझी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.01.2026	अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मृत प्रतिवादी के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापना का आदेश देने की कृपा किया जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 13.01.2026 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–01 विनोद मांझी की मृत्यु हो चुकी है तथा यह भी सही है कि विनोद मांझी की पत्नी बगड़ी देवी इस वाद में प्रतिवादी सं0–02 है। विनोद मांझी की मृत्यु दिनांक 21.02.2023 को हुआ है। प्रतिवादीगण अनपढ़ है तथा उन्हें न्यायालय के विधि विधान की जानकारी नहीं है जिसके कारण प्रतिवादीगण द्वारा ससमय न्यायालय को सूचना नहीं दिया गया। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा जानबूझकर आदेश 22 नियम 4 तथा 151 व्य0प्र0सं0 का आवेदन विलम्ब से दाखिल किये है। विलम्ब शुल्क के साथ इनके आवेदन पर आदेश पारित करने की कृपा किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 विनोद मांझी की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K Rudrappa V/S Shivappa AIR	

<u>न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–84/2014</u>

<u>CIS No.-TS 633/2018</u>

रविन्द्र सिंह एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

विनोद मांझी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 13.01.2026	2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 21.07.2025 स्वीकार किया जाता है तथा मृतक प्रतिवादी सं0–01 विनोद मांझी का नाम वाद पत्र से कलमजद करते हुए उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादीगण प्रतिस्थापन करें। तदपश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। वाद दिनांक 10.03.2026 वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	